न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/189/2015

उनवान

1. सूरजा पिता स्व0 बालू बागरिया निवासी अजीतपुरा तहसील करेडा , जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,करेडा जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, करेडा के
प्रकरण संख्या 79/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.6.2015

अभिभाषक : 1. श्री विनोद तिवाडी , अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 20.2.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता बालू बागरिया को ग्राम अजीतपुरा के खाता संख्या 22 की साबिक आराजी नम्बर 209 कुल रकबा 91 बीघा 5 बिस्वा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किस्म बिलानाम में से 7 बीघा दिनांक 14.12.1970 को आवंटित की गई थी एवं कब्जा सुपुर्द किया गया था। जो नामान्तरकरण संख्या 213 के जरिये वादी के पिता बालू बागरिया के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई। संवत 2024–2027 के राजस्व रेकार्ड उक्त आराजी का अंकन किया हुआ है। वादी के पिता बालूजी की मृत्यु हो चुकी है। उनके परिवार में उनकी पत्नि मोडी थी। जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है। बालू जी का एकमात्र उत्तराधिकारी वादी ही है। वादग्रस्त भूमि का कब्जा सुपुर्द किये जाने के उपरान्त वादी के पिता का वादग्रस्त आराजी पर लगातार कब्जाकाश्त था एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त वादी का लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। जमाबंदी संवत 2024 से 2027 तक वादी के पिता के नाम वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही।

2. भू प्रबन्ध ऑपरेशन के बाद की प्रथम रोटेशन जमाबंदी संवत 2034 में बनी । भू प्रबन्ध के बाद की रोटेशन की जमाबंदी संवत 2034 से 2037 में वादी के दादा मांगू बागरिया का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिये था। जिसे दर्ज नहीं किया गया । भू प्रबन्ध के बाद वादी के पिता बालू का आवंटित भूमि को आराजी नम्बर 209 में संयोजित कर भूमि की किस्म परिवर्तित कर बिलानाम दर्ज कर दिया गया । इस प्रकार का इन्द्राज किये जाने का भू प्रबन्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोई अधिकार नहीं था। रोटेशन की जमाबंदी में से वादग्रस्त भूमि को बिलानाम दर्ज किया जाता रहा । भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियो द्वारा साबिक आराजी नम्बर 209/8 के नवीन आराजी नम्बर 584 कायम किये गये । उसे भी भू प्रबन्ध के उपरान्त बिलानाम दर्ज कर दिया गया । जो संवत 2038 से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2041 तक राजस्व रेकार्ड में बिलानाम के रूप में रोटेशन से दर्ज किया जाता रहा । उक्त नवीन आराजी नम्बर 584 रकबा 76 बीघा में से कई व्यक्तियों के नाम भूमि का आवंटन किया गया एवं शेष बचा रकबा 40 बीघा रोटेशन की जमाबंदी में बिलानाम दर्ज किया जाता रहा । उक्त शेष रकबे में से भी भूमि का आवंटन आवंटितियों को किया गया। आवंटन के बाद नवीन आराजी नम्बर 584 में से शेष बचा रकबा 25 बीघा जमाबंदी संवत 2050 से 2053 में बंजड किस्म के रूप में दर्ज किया गया । उसके उपरान्त जरिये नामान्तरकरण संख्या 200 दिनांक 18.2.99 को उक्त आराजी नम्बर 584 का शेष सम्पूर्ण रकबा 25 बीघा बिलानाम गैरकाबिल काश्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में दर्ज किया गया जो कि रोटेशन की जमाबंदी से वर्तमान जमाबंदी में बदस्तुर दर्ज किया जाना जारी है। चूंकि वादी के पिताजी की मृत्यु हो चुकी है एवं वादी के पिता बालू का एक मात्र उत्तराधिकारी वादी ही है जिसे उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने का अधिकार है। उक्त गलत इन्द्राज को वादी को व उसके पिता को अनपढ होने के कारण ज्ञान नहीं हो सका। जब वादी दिनांक 20.12.2013 को वादग्रस्त आराजी जिस पर वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा था। उस पर थोहर लगाने गया तो उपरोक्त आवंटित भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करना चाहा और धमकियॉ दी कि उक्त आराजी तुम्हारे नाम पर दर्ज नहीं है। तब जाकर वादी ने पटवारी से नकल निकलवाई तब जाकर वादग्रस्त भूमि जानकारी हुई । हाल आराजी नम्बर 584 रकबा 25 बीघा में से बालू बागरिया के बजाय उसके विधिक उत्तराधिकारी/वादी को नवीन रकबे अनुसार 5 बीधा 19 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के लिए राजस्थान सरकार को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पंजीकृत सूचना पत्र दिनांक 24.2.2014 को प्रेषित कर निवेदन किया परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः हाल आराजी नम्बर 584 रकबा 25 बीघा एवं हाल आराजी नम्बर 611 रकबा 80 बीघा में से वादी के पिता वादी के पिता स्व0 नारायण बागरिया के बजाय उसके विधिक उत्तराधिकारी/वादी को 5 बीघा 19 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम अजीतपुरा के खाता संख्या 22 की साबिक आराजी नम्बर 209 कुल रकबा 91 बीघा 5 बिस्वा किस्म बिलानाम में से 7 बीघा दिनांक 14.12.1970 को आवंटित की गई थी एवं कब्जा सुपुर्द किया गया था। तब से वादी के बालू बागरिया का कब्जाकाश्त चला आ रहा था बालू बागरिया अपीलार्थी/वादी के पिता हैं जिनकी मृत्यु के उपरान्त वादी का आवंटित रकबे पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। बालू बागरिया की पत्नि मोडी की मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में बालू बागरिया का एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी वादी ही है। भू प्रबन्ध के दौरान साबिक आराजी नम्बर 209 के नवीन आराजी नम्बर 584 कायम किये गये। वादी के पिता को आवंटित रकबा उनके नाम दर्ज नहीं कर नवीन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजी नम्बर 584 में संयोजित कर भूमि की किस्म परिवर्तित कर बिलानाम दर्ज कर दिया गया । जिसे बाद में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित कर दी गई। जबकि कब्जा वादी का चला आ रहा है। इस बाबत वादी ने वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

6. अपीलार्थी/वादी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया एवं प्रतिवादी का जवाब दावा लिया गया । उसके उपरान्त वाद पत्र साक्ष्य वादी में लंबित था। दिनांक 9.4.2015 को श्रीमती चांदी उर्फ रीछी पत्नि बालू बागरिया व उसके अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया । जिसे रेकार्ड पर लिया गया । आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.4.2015 नियत की गई। उक्त तारीख पेशी को अधिवक्ता प्रत्यर्थी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी की प्रति दी गई। उसके उपरान्त पत्रावली आगामी तारीख पेशी 7.5.2015 को पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र नियत की गई। आगामी तारीख पेशी 7–5–2015 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गई। दिनांक 11.6.2015 को पत्रावली केम्प कोर्ट अमदला में रखी गई। जिसकी कोई सूचना अपीलार्थी/वादी या उसके अधिवक्ता को नहीं दी गई। उसी दिन अपीलार्थी/वादी का वाद खारिज कर दिया गया । जिससे अपीलार्थी/वादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिल पाया। जिससे अपीलार्थी/वादी अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। अधीनस्थ न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपीलार्थी/वादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । अतः अधीनस्थ न्यायालय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

7. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी ने अपने कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। जिससे वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी द्वारा काश्त किया जाना प्रमाणित होता हो। वादग्रस्त भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने के समय बिलानाम दर्ज रेकार्ड थी। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

8. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रेकार्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी/वादी ने वादी के पिता जी बालू बागरिया को साबिक आराजी नम्बर 209 में से 7 बीघा भूमि दिनांक 14.12.1970 को आवंटित किये जाने का निवेदन किया । भू प्रबन्ध के दौरान साबिक आराजी नम्बर 209 के नवीन आराजी नम्बर 584 कायम किये गये। हाल आराजी नम्बर 584 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई है।

9. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र पंजिबद्ध किये जाने के उपरान्त प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसे रेकार्ड पर लिया गया । उसके उपरान्त वाद पत्र साक्ष्य वादी में लंबित था। तारीख पेशी दिनांक 9.4.2015 को श्रीमती चांदी उर्फ रीछी पत्नि बालू बागरिया व उसके अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तुत किया । जिसे रेकार्ड पर लिया गया । आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.4.2015 नियत की गई। उक्त तारीख पेशी को अधिवक्ता प्रत्यर्थी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी की प्रति दी गई। उसके उपरान्त पत्रावली आगामी तारीख पेशी 7.5.2015 को पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र नियत की गई। आगामी तारीख पेशी 7–5–2015 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गई। दिनांक 6.6.2015 को पत्रावली केम्प गोरख्या में रखी गई। एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.9.2015 नियत की गई। दिनांक 10.9.2015 से पूर्व ही उसके उपरान्त दिनांक 10.9. 2015 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गई। आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.6.2015 को आदेशिका लिखी गई। उक्त तारीख पेशी नियत किये जाने से पूर्व अपीलार्थी/वादी को किसी प्रकार की सूचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दी गई। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई सूचना पत्र उपलब्ध नहीं है। प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी के जवाब हेतु लंबित था। उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया । प्रकरण में अपीलार्थी/वादी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही प्रकरण को दिनांक 11.6.2015 को राजस्व केम्प अमदला में रखा जाकर उसी दिनांक को अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया।

10. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/वादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा आने के उपरान्त तनकियात कायम की जानी चाहिये थी एवं उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उनके द्वारा प्रस्तुत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर तनकीवाईज गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की जाकर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

11. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.6.2015 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में तनकियात कायम कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज के आधार पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे । उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.3.2018 को उपस्थित रहें।

12. निर्णय आज दिनांक 20.2.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

20/2/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा